मेरठ विकास प्राधिकरण

की

45वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 1—9—92

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 1-9-92

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 1-9-92 को मण्डलायुक्त, मेरठ/अध्यक्ष , मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में उनके शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया ।

1-	श्री एम०रामचन्द्रन	मण्डलायुक्त,मेरठ/अध्यक्ष,विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
2-	श्री वी०के०सिन्हा	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
3-	श्री कु०नीता चौधरी	विशेष सचिव, आवास, उ०प्र०शासन, मेरठ ।
4-	श्री शंकर अग्रवाल	विशेषसचिव (वित्त), उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
5-	श्री जे०पी०भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ ।
6-	श्री जे०एस०मिश्र	जिलाधिकारी, मेरठ ।
7-	श्री तेजपाल सिंह	मुख्य नगर अधिकारी, मेरठ नगरपालिका, मेरठ ।
8-	श्री ओ०एन०द्विवेदी	अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम, मेरठ ।
9-	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी	उप आवास आयुक्त, मेरठ ।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 24-2-92 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई उनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत है । शेष बिन्दुओं के बारे में किसी सदस्य द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया ।

मद संख्या - 1

बैठक दिनाँक 24-2-92 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि प्राधिकरण की दिनाँक 9-9-91 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या - 4 एवं दिनाँक 24-2-92 में हुई बैठक के मद संख्या-2(2) को सही ढंग से नहीं लिखा गया हैं कार्यवृत्त में किसी अधिकारी विशेष का नाम उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिए । अत: दिनाँक 9-9-91 एवं 24-2-92 को सम्पन्न हुई बैठकों के कार्यवृत्त के सन्दर्भित मद संख्या से अधिकारी विशेष का उल्लेख करते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या - 2(2)

इलैक्ट्रावर्ड के भवन मानचित्र संख्या - 20/19 पर विचार।

यह प्रकरण प्राधिकरण की गत बैठक दिनाँक 24-2-92 को लिये गये निर्णय के अनुसार शासन को सन्दर्भित किया गया है। बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया है कि महायोजना के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण महायोजना क्षेत्र के जोनिंग रेग्यूलेशन निर्धारित करने की कार्यवाही भी की जाये।

मद संख्या - 2(10)

नये भूमि अर्जन प्रस्ताव।

मेरठ दिल्ली बाई पास रोड से मेरठ-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग को मिलाने के लिये 225 फीट चौडी मास्टर प्लान रोड बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान में इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है। अत: फिलहाल भूअर्जन के प्रस्ताव को स्थगित रखा जाये।

मद संख्या - 3

महायोजना की अवधि 6 माह बढाने पर विचार।

बैठक में अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित महायोजना के लागू होने तक वर्तमान महायोजना स्वत: लागू समझी जाती है। अत: अवधि बढाने का प्रशन नहीं उठता हैं।

मद संख्या - 4

महायोजना के पुनरीक्षण पर विचार।

यह निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरुप पुनरीक्षित महायोजना का प्रारुप तेयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 6

अवशेष सम्पत्ति को नकद भुगतान पर बेचा जाना।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अवशेष सम्पत्ति को चिन्हित कर उसकी सूची शासन को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाये तथा अवशेष सम्पत्ति के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाये। यह निर्णय भी लिया गया कि यदि पंजीकृत आवदकों को उनके द्वारा चाही गयी योजना में भवन/भूखण्ड नहीं मिल पाता तो उन्हें इच्छानुसार अन्य योजना में अवशेष सम्पत्ति आबंटित किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करके नियमानुसार आबंटन किये जाये। अवशेष सम्पत्ति के निस्तारण का पूर्ण विवरण भी आगामी बैठकों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या - 7

अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि बिषय सूची में से निम्न अंश को विलुप्त कर दिया जाये "उक्त संशोधन के सम्बन्ध में सहयुक्त नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ से भी वार्ता की गयी, जिस पर उन्होंने भी अपनी सहमति प्रकट की है।"

मद संख्या - 8

शताब्दी नगर योजना का अभिकल्पन पुर्नसंगठित करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन के पत्रांक 4915/37-1-92 दिनाँक 26-8-92 के अन्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुरुप कार्यवांही की जाये।

मद संख्या - 13

हैण्डलूम वस्त्र व्यापारी संघ को उनके द्वारा जमा रु० 20 लाख जोकि हर्षनगर में नवीन हैण्डलूम वस्त्र मार्केट विकसित करने हेतु जमा किया गया था, को वापस करने हेतु विचार।

यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में हैण्डलूम वस्त्र व्यापारी संघ तथा सम्बन्धित विभागों के साथ विचार विमर्श करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या - 18

आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के नक्शे पास करने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में उपायुक्त, आवास विकास परिषद अपनी कालोनियों को महापालिका को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही सुनिशिचित करेंगे ।

मद संख्या - 19

शासन के आदेश कि गढवाल मण्डलीय विकास निगम से दरवाजे तथा य० पी० सी० सी० से सीमेन्ट खरीदने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि शासनादेश के अनुसार गढवाल मण्डलीय विकास निगम एवं उ० प्र० वन विभाग में जो भी तुलनात्मक रुप से बाँछित गुणवत्ता एवं कम दाम पर उक्त सामग्री उपलब्ध कराये उनसे प्राधिकरण खरीद करके शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

अन्य बिषय

शिक्षण संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

यह निर्णय लिया गया कि जिन शिक्षण संस्थाओं के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति मिल चुकी है, उनमें समस्त औपचारिकतायें तुरन्त पूर्ण कराकर अगिम कार्यवाही की जाये ।

बैठक दिनाँक 1-9-92 में रखे गये प्रस्ताव।

मद संख्या - 1

बर्ष 1991-92 के बजट प्राविधानों के विपरीत हुए वास्तविक आय व्यय एवं बर्ष 1991-92 की बैलेन्स शीट तथा वित्तीय बर्ष 1992-93 का बजट।

बर्ष 1991-92 के बजट प्राविधानों के विपरीत हुए वास्तविक आय व्यय एवं बर्ष 1991-92 की बेलेन्स शीट तथा वित्तीय बर्ष 1992-93 के बजट प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि बर्ष 1992-93 का बजट विगत बर्ष की वास्तविक उपलब्धि एवं इस बर्ष के प्रथम त्रैमास के वास्तविक आय व्यय के आकडों के आधार पर बनाने का प्रयास किया गया हैं

बर्ष 1992-93 के बजट में कुल राजस्व आय 1078.05 लाख तथा पूँजीगत आय 13,757.54 लाख, कुल सकल आय 14,835.59 लाख अनुमानित है। 14,835.59 लाख में से रु० 266.01 लाख गत वित्तीय बर्ष 1991-92 के अवशेष भुगतानों की व्यवस्था के उपरान्त शुद्ध आय 14,569.58 लाख होने का अनुमान है। कुल राजस्व व्यय 422,05 लाख, पूँजीगत व्यय 14,058.01 लाख कुल सकल व्यय 14,480.06 लाख होने का अनुमान है जिसका सम्पूर्ण विवरण बजट पुस्तिका में प्रदर्शित किया गया है। विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के अन्तर्गत संशोधित बजट अनुमोदित किया गया :-

1- अधिष्ठान एवं निर्माण सम्बन्धी व्यय की मदों के अन्तर्गत पुन: समीक्षा करके मितव्यता के दृष्टिकोण से व्यय को यथा सम्भव सीमित किया जायेगा।

2- शासन द्वारा गैस्ट हाऊस के निर्माण पर लगाये गये प्रतिबन्ध के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्य हेतु बजट में किये गये रुपये 10 लाखं के प्राविधान को विलुप्त कर दिया जाये।

3- बजट में हर्ष नगर आवासीय योजना हेतु रु० 150.00 लाख, हर्षनगर व्यवसायिक केन्द्र हेतु रु० 40.00 लाख तथा जवाहर क्वाटर्स हेतु रु० 50.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया हैं विचार विमर्श के बाद इन तीनों

योजनाओं के लिये इस वित्तीय बर्ष में केवल सांकेतिक प्राविधान रुपये 1,000-00 प्रति योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

4- बर्ष 1992-93 के बजट में प्रस्तावित आय तथा व्यय के आकडों की वास्तविक उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी । माह जनवरी, 1993 में प्राधिकरण की बैठक में तब तक की स्थिति की समीक्षा की जायेगी ।

उपरोक्त संशोधनों के परिणाम स्वरुप बर्ष 1992-93 के बजट में कुल राजस्व आय रु० 10,78,05,000 तथा पूँजीगत आय रु० 1,37,57,53,000, सकल आय रु० 148,35,59,000 तथा राजस्व व्यय रु० 4,22,05,000 तथा पूँजीगत व्यय रु० 1,38,04,000 तथा कुल व्यय रु० 142,30,09,000 का प्राविधान अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 2

श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी श्री उमेश गुप्ता को अनुकम्पा के आधार पर प्राधिकरण में सेवायोजि किये जाने पर विचार ।

इस प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती निर्मला गुप्ता को अनुकम्पा के आधार पर प्राधिकरण में कनिष्ठ लिपिक का एक अतिरिक्त पद सृजित करते हुए उक्त पद पर तदर्थ रुप से नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये ।

मद संख्या - 3

भूअर्जन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव के पैरा 1,2,3 व 4 पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही की जाये । प्रस्ताव के पैरा-5 में उल्लिखित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेरठ जिला प्रशासन के अन्तर्गत नियुक्त किसी अतिरिक्त जिलाधिकारी/डिप्टी कलैक्टर को इस कार्य हेतु पदेन रुप से नियुक्त किये जाने पर विचार करके आवश्यकतानुसार शासन को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किया जाये । उपसचिव के रिक्त पद पर किसी सेवा निवृत्त डिप्टी कलैक्टर को संयत वेतन पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं व्यक्त की गयी ।

मद संख्या - 4

उपाध्यक्ष एवं सचिव के निवास एवं शिविर कार्यालय का निर्माण।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि शासनादेशें के परिप्रेक्ष्य में गैस्ट हाऊस का निर्माण अब प्रतिबन्धित गर दिया गया ह्वै अत: गैस्ट हाऊस के निर्माण की प्रस्तावना को छोडकर शेष प्रस्ताव अनुमोदित किये गये।

मद संख्या - 5

प्राधिकरण में आर्मीवैलफेयर हाऊसिंग आर्गनाईजेशन द्वारा प्रस्तावित गुप हाऊसिंग मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में ए०डब्ल्यू०एच०ओ० को उपयुक्त उत्तर शीघ्र भेजा जाये।

मद संख्या - 6

मेरठ महायोजना में औद्योगिक भूउपयोग के अन्तर्गत औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों हेतु आवासीय सुविधा की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

यह प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का स्वामित्व औद्योगिक ईकाई का ही बना रहेगा। यह निर्णय भी लिया गया कि ऐसे मामलों मे प्रत्येक प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके उन्हें प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या - 7

अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु आदर्श उपविधि लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या - 5515/11-91-6 डी०ए०291 दिनाँक 17 जुलाई, 1991 द्वारा अनाधिकृत निर्माण के अपराधों के शमन हेतु भेजी गयी आदर्श

उपविधि के प्रारुप को विचारोपरान्त प्रस्तावित निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया।

1- शमन शुल्क की न्यूनतम धनराशि एवं अधिकतम धनराशि का निर्धारण दिये गये मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा और उस पर जो वास्तविक गणना में धनराशि आये उसे ही लिया जायेगा।

2- शमन शुल्क गणना के लिये उक्त भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का तात्पर्य जिलाधिकारी/कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से होगा।

मद संख्या - 8

भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय मलवा शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि कवर्ड एरिया तथा भूखण्ड एरिया के सम्बन्ध में जो सीमायें निर्धारित की गयी है उनके आपसी तालमेल का सिद्धान्त स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि फलैट रेट के आधार पर मलवा शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी परीक्षण करा लिया जाये।

मद संख्या - 9

नियमित की गयी कालोनियों में विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियमित की गयी अनाधिकृत कालोनियों के सम्बन्ध में विकास शुल्क की दर को बढाकर रु० 50-00 प्रति वर्गमीटर कर दिया जाये।

मद संख्या - 10

मानचित्र शुल्क के सम्बन्ध में।

विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि संस्थाओं के मामले में बढी हुई दिरें निम्नवत होगी।

150 वर्गमीटर तक	रु० 200.00
150 वमीटर से अधिक	रु० 400.00

शेष दरें प्रस्तावना के अनुसार अनुमोदित की गयी ।

अन्य बिषय/ निर्णय

1- मुख्य सचिव के पत्र संख्या - 4634/37-1-/92-93 वी/88 दिनाँक 13 अगस्त, 1992 द्वारा प्रत्येक महानगर के लिये बर्ष 2015 तक की भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए भौतिक एवं वित्तीय योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है । इस शासनादेश पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों की 2015 तक की आवश्यकताओं को इंगित करते हुए एक टिप्पणी मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी । उस पर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थाओं से सुझाव आमन्त्रित करके तथा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित करके बाँछित योजना निर्धारित समय/अवधि में तैयार की जायेगी ।

2- आगामी बैठकों में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों एवं निर्मित भवनों/भूखण्डों के आबंटन की स्थिति भी प्रस्तुत की जायेगी ।

3- प्राधिकरण कार्यालय स्तर पर समय-समय पर प्राप्त शासनादेशा- के सन्दर्भ में गार्ड फाईलों का समुचित रख रखाव किया जोयगा ।

ह०/-

(एम० रामचन्द्रन)

आयुक्त/अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।